GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
NOIDA DADRI ROAD, PHASE-II, NOIDA - 201305
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (UTTAR PRADESH)

फा० सं० 10/274/2009-एस०ई०जेड०/ दिनांक: 13/09/2018

सेवा मे ,

1. निदेशक (एस०ई०जेड०), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, भारत सरकार, उधोग भवन, नई दिल्ली - 110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002
3. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, नियर आईजीआई एअरपोर्ट, नई दिल्ली – 110037 ।
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं उत्पाद शुल्क, एस सी ओ नं 407 & 408, सेक्टर- 8, पंचकुला (हरियाणा) ।
5. आयुक्त, आयकर, एचएसआईआईडीसी बिल्डिंग, 4th फ्लोर, उधोग विहार, फेज-5, गुडगांव (हरियाणा)।
6. आयुक्त, आयकर, सेन्ट्रल सर्कल- II, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, एनएच 4, फरीदाबाद, (हरियाणा) ।
7. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8. निदेशक, उधोग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार, 30 बेज़ भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़।
9. प्रबंध निदेशक, हरियाणा राज्य औधोगिक विकास निगम, हरियाणा सरकार, प्लॉट नं सी -13 व 14, सेक्टर 6 पंचकूला , (हरियाणा)।
10. सीनियर टाउन प्लानर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (एच क्यू), एस सी ओ :71-75, सेक्टर 17C, चंडीगढ़।
11. संयुक्त निदेशक, जिला उधोग केंद्र, प्लॉट नं 2, आई डी सी, गुडगांव (हरियाणा)।
12. संयुक्त निदेशक, जिला उधोग केंद्र, नीलम चौक, फरीदाबाद (हरियाणा)।
13. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: <u>दिनांक 07/09/2018 को अपराह्न 12:30 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रो की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे डा० एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता मे दिनांक 07/09/2018 को अपराह्न 12.30 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा मे आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रो की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,

राजेश 13/9/18

(राजेश कुमार)
उप विकास आयुक्त

संलग्नक : उपरोक्त

(8)

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

07.09.2018 को दोपहर 12.30 बजे एन.एस.ई.ज़ेड. नोएडा के सम्मेलन भवन में डॉ एल.बी सिंघल, विकास आयुक्त, एन.एस.ई.ज़ेड की अध्यक्षता के अधीन आयोजित हरियाणा राज्य में स्थित निजी एस.ई.ज़ेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक एक दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, एन.एस.ई.ज़ेड
2. श्री महेश कुमार, सहायक आयुक्त, कस्टम, दिल्ली
3. श्री आर.एल मीना, सहायक डी.जी.एफ.टी, नई दिल्ली
4. श्री राहुल, संयुक्त निदेशक कार्यालय, उद्योग विभाग, फरीदाबाद
5. श्री महिपाल सिंह, नियोजन सहायक, डी.टी.सी.पी कार्यालय, हरियाणा
6. एस.ई.ज़ेड विकासकर्ताओं/ सह-विकासकर्ताओं के प्रतिनिधि, विशेष अतिथि

- इसके अलावा, बैठक एक दौरान i) श्री राजेश कुमार, डी.डी.सी, ii) श्री सतीश सी गंगर, विशिष्ट अधिकारी, iii) श्री मोहन वीर रूहेला, ए.डी.सी और iv) श्री प्रकाश चन्द्र उपाध्याय भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे।
- आरम्भ में, चेयरमैन ने सहभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल प्रत्येक मुद्दे पर एक-एक करके चर्चा की गई। अनुमोदन समिति के सदस्यों के मध्य विस्तृत चर्चा और साथ ही विकासकर्ताओं/ यूनिट्स के आवेदकों/ प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप करने के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:-

01. 03.08.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक की कार्यवृत्त का अनुसमर्थन

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 03/08/2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के प्रति अनुमोदन समिति या वाणिज्य के किसी भी सदस्य के तरफ से कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 03/08/2018 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त का अनुसमर्थन किया गया था।

02. **विकासकर्ता मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव (हरियाणा) में अपने आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव**

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुडगाँव (हरियाणा) में अपने आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के विकासकर्ता मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट/ प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमे उचित क्षमता का आवश्यक सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क इत्यादि शामिल है	04	51.50
(ii)	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन (बी.ओ.ए के अनुमोदन अनुसार)	बी.ओ.ए द्वारा अनुमोदित	5.50
(iii)	यू.ए.सी के अनुमोदन के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार की इमारतों का निर्माण	22	3.58
(iv)	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइन (श्रोत तक की समर्पित लाइन), गंदे पानी की नालियां, स्टॉर्म वाटर की नालियां और उचित क्षमता का जल चैनल	02	0.29
		कुल	**60.87**

विकासकर्ता के तरफ से श्री अशोक सिंह, ए.जी.एम अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की सूची के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

03. मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुडगाँव (हरियाणा) के आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक 'स्नैक काउंटर' लगाने और चलाने के लिए मेसर्स ए-स्क्वायर टक शॉप को पूर्व-निर्मित स्थान आवंटित करने का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने दिनांकित 23.08.2018 पत्र के माध्यम से ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुडगाँव (हरियाणा) के आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में पोडियम (विंड केव 1 बिल्डिंग) के निचली मंजिल में 216 वर्ग फीट (20.07 वर्ग मीटर) का पूर्व-निर्मित स्थान मेसर्स ए-स्क्वायर टक शॉप को एक 'स्नैक काउंटर' लगाने और चलाने के लिए पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका विशेष उपयोग एस.ई.ज़ेड के कर्मचारियों और वहां स्थित यूनिट्स द्वारा किया जाएगा। यह सूचित किया गया था कि विकासकर्ता को 07.04.2017 में आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में पहले ही इसकी अनुमति मिल चुकी है, जिसके अनुसार कीओस्क-15-पोडियम (विंड केव 1 बिल्डिंग) की 216 वर्ग फीट का पूर्व-निर्मित स्थान मेसर्स ए-स्क्वायर टक शॉप को एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक 'स्नैक काउंटर' लगाने और चलाने के लिए पट्टे पर आवंटित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका विशेष उपयोग एस.ई.ज़ेड के कर्मचारियों और वहां स्थित यूनिट्स द्वारा किया जाएगा।

समिति ने प्रस्ताव का परीक्षण किया और यह देखा कि एस.ई.ज़ेड नियम, 2006 के नियम 11(5) में उपबंधित है कि:-

'विकासकर्ता भोजनालय, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिशुसदन और ऐसी अन्य आवश्यक सुविधा केन्द्रों के निर्माण हेतु अनुमोदन समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर जमीन या पूर्व-निर्मित स्थान को पट्टे पर प्रदान करने की स्वीकृति दे सकता है, जिसका खास तौर पर यूनिट्स द्वारा उपयोग किया जाएगा।'

विकासकर्ता के तरफ से श्री अशोक सिंह, ए.जी.एम अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया। उन्होंने सूचित किया कि तत्कालिक प्रस्ताव मेसर्स ए-स्क्वायर टक शॉप को नाश्ता बेचने के लिए एक अलग काउंटर खोलने हेतु अतिरिक्त स्थान आवंटित करने के लिए है।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव <u>स्वीकार</u> कर लिया, इस शर्त के अधीन कि मेसर्स ए-स्क्वायर टक शॉप को एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा लगाने, चलाने और रखरखाव के लिए सेवा कर लाभों समेत कोई अन्य कर/ ड्यूटी लाभ उपलब्ध नहीं होगा और मेसर्स ए-स्क्वायर टक शॉप अपने इस केंद्र में सिगरेट और शराब युक्त पेय पदार्थ नहीं बेचेगा। इस सुविधा केंद्र का उपयोग विशेष रूप से केवल एस.ई.ज़ेड के कर्मचारियों और वहां स्थित यूनिट्स द्वारा ही किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने विकासकर्ता के प्रतिनिधि को 'फ़ूड कोर्ट्स/ रेस्टोरेंट इत्यादि' के लिए

बी.ओ.ए/ यू.ए.सी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र, ऐसी गतिविधियों के लिए पट्टे पर दिया जाने वाला कुल क्षेत्र और शेष क्षेत्र की जानकारी जमा करने का निर्देश दिया।

04. <u>सह-विकासकर्ता मेसर्स किंग्स कैनियन एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गाँव में मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स किंग्स कैनियन एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, जिला गुड़गाँव (हरियाणा) में मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के सह-विकासकर्ता ने अपनी एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट/ प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	एक्सेस कंट्रोल और अनुवीक्षण प्रणाली	24	120.61
		कुल	120.61

सह-विकासकर्ता के तरफ से श्री अशोक सिंह, ए.जी.एम अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची के लिए <u>अनुमोदन प्रदान</u> किया।

05. <u>सह-विकासकर्ता मेसर्स ग्रैंड कैनियन एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गाँव में मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स ग्रैंड कैनियन एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, जिला गुडगाँव (हरियाणा) में मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के सह-विकासकर्ता ने अपनी एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट/ प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	एक्सेस कंट्रोल और अनुवीक्षण प्रणाली	24	186.86
		कुल	186.86

सह-विकासकर्ता के तरफ से श्री अशोक सिंह, ए.जी.एम अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

06. ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुडगाँव (हरियाणा) की मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड की एक यूनिट मेसर्स कॉम्परेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ कंपनी के शेयरधारण स्वरूप में बदलाव करने का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुडगाँव (हरियाणा) की मेसर्स ए.एस.एफ इनसिग्निया एस.ई.ज़ेड प्राइवेट लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड की एक यूनिट मेसर्स कॉम्परेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के शेयरधारण स्वरूप में निम्नलिखित बदलाव के लिए प्रस्ताव जमा किया था:-

परियोजना का आवेदन देने के समय यूनिट द्वारा जमा की गई शेयरधारण स्वरूप			31.03.2018 को शेयरधारण का स्वरूप		
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	% शेयर	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	% शेयर

मेसर्स कॉम्परेक्स होल्डिंग्स GmbH, ऑस्ट्रिया	477650	69.99%	मेसर्स कॉम्परेक्स होल्डिंग्स GmbH, ऑस्ट्रिया	682400	99.99%
मेसर्स कॉम्परेक्स Beteiligungsverwaltung GmbH, ऑस्ट्रिया	100	0.01	मेसर्स कॉम्परेक्स Beteiligungsverwaltung GmbH, ऑस्ट्रिया	100	0.01%
नविन कपूर	204750	30.00	-	-	-
कुल:	682500	100%	कुल:	682500	100%

यह सूचित किया गया था कि यूनिट द्वारा जमा की गई उपरोक्त जानकारियों के अनुसार, कंपनी के शेयरधारण में 30% बदलाव हुए थे।

यह सूचित किया गया था कि दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 के माध्यम से डी.ओ.सी ने शेयरधारण स्वरूप में बदलाव, एस.ई.ज़ेड विकासकर्ता और एस.ई.ज़ेड यूनिट के नाम में बदलाव के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5(ii) के अनुसार, *"यूनिट के संबंध में अनुमोदन समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर पुनर्गठन किया जा सकता है जिसमे नाम का बदलाव, शेयरधारण स्वरुप में बदलाव, व्यवसाय अंतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलीनीकरणों और डीमर्जर, एस.ई.ज़ेड में अवस्थित यूनिट के अधिकार क्षेत्र के बदलाव शामिल है, बशर्ते यूनिट विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनेगा या बहिर्गमन नहीं करेगा और सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में संचालन जारी रखेगा। इस तरह का पुनर्गठन होने पर यूनिट के सभी उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।"*

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6 के अनुसार, यह पुनर्गठन निम्नलिखित रक्षेपायों के अधीन होगा:-

i) परिवर्तित निकाय के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों सहित समस्त एस.ई.ज़ेड का निरंतर संचालन;

ii) निकाय और इसके संघटकों द्वारा लागू समस्त पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए जिसमे सुरक्षा मंज़ूरी इत्यादि शामिल है;

iii) समस्त राजस्वों/ कंपनी कार्यकलापों/ एस.ई.बी.आई इत्यादि, पूंजीगत लाभ, समता के परिवर्तन, अंतरण, कर-प्रयोज्यता इत्यादि जैसे मुद्दों को विनियमित करते अधिनियम/ नियमों की अनुप्रयोज्यता एवं अनुपालन;

iv) सदस्य (आई.टी), सी.बी.डी.टी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी को समता/ विलीनीकरण, डीमर्जर, समामेलन या स्वामित्व के अंतरण इत्यादि में होने वाले बदलाव के संबंध में पूरी वितीय जानकारी तत्काल प्रस्तुत की जाएगी;

v) निर्धारण अधिकारी को समता अंतरण या विलीनीकरण, डीमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण इत्यादि, जो लागू हो, के कारण उत्पन्न लाभ/हानि की कर-प्रयोज्यता और आय कर अधिनियम, 1961 की उचित धाराओं के अधीन कटौती की पात्रता का आंकलन करने का अधिकार होगा;

vi) आवेदक जमीन के पट्टे से संबंधित विधियों समेत राज्य सरकार के समस्त प्रासंगिक विधियों का अनुपालन करेगा, जो लागू हो;

vii) यूनिट सी.बी.डी.टी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार आंकलन अधिकारी की जानकारी प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि दिनांक 03.08.2018 के अनुदेश संख्या 90 के माध्यम से डी.ओ.सी के आगे स्पष्ट किया था कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5(i) और (ii) में विकासकर्ता/ एस.ई.ज़ेड के संबंध में 'अनुमोदन बोर्ड/ यूनिट अनुमोदन समिति (यू.ए.सी) की पूर्व अनुमति' का अर्थ यह है कि एस.ई.ज़ेड निकाय/ यूनिट को नए नाम द्वारा मान्यता मिलने या सभी मायनों में ऐसी व्यवस्था होने से पहले, जैसा मामला हो, बी.ओ.ए/ यू.ए.सी से अनुमति ली जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं समझा जाए कि कंपनियों के पंजीयक या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास जाने से पहले बी.ओ.ए/ यू.ए.सी से अनुमति ली जाएगी, जैसा कि डी.ओ.सी के ध्यान में लाए गए कुछ मामलों में किया जा रहा है।

यूनिट के तरफ से मिस रोमा कपूर, सी.एफ.ओ अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुईं और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 और डी.ओ.सी द्वारा दिनांक 03.08.2018 के अनुदेश संख्या 90 के माध्यम जारी की गई अनुवर्ती स्पष्टीकरण के अर्थों में प्रस्ताव <u>स्वीकार</u> कर लिया, इस शर्त के अधीन कि दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 में विहित रक्षेपायों का अनुपालन किया जाएगा।

07. <u>सह-विकासकर्ता मेसर्स डी.एल.एफ पॉवर एंड सर्विसेज लिमिटेड के तरफ से ग्राम सिलोखेरा, गुड़गाँव में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स डी.एल.एफ पॉवर एंड सर्विसेज लिमिटेड, सह-विकासकर्ता ने सेक्टर-30, ग्राम सिलोखेरा, जिला गुडगाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	*विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों समेत इंजीनियरिंग, रखरखाव, तापन, वैंटिलेशन और वातानुकूलन (एच.वी.ए.सी) प्रणाली, फायर डिटेक्शन और अलार्म प्रणाली, जल आपूर्ति, तूफ़ान, जल निकासी और मलजल निपटान, लिफ्ट, लॉबी, सम्मेलन भवन, पार्किंग एरिया, उपयोगिता क्षेत्र, समेत ईमारत की रखरखाव सेवाएं, अपशिष्ट और कचड़ा निपटान, बागबानी, कीट नियंत्रण, गृहमुख सफाई सेवाएं।*	बी.ओ.ए द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत परिचालनाओं के अनुसार	63.00

सह-विकासकर्ता के तरफ से श्री अनिल नौरियल, जी.एम और श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

08. सह-विकासकर्ता मेसर्स डी.एल.एफ पॉवर एंड सर्विसेज लिमिटेड के तरफ से ग्राम सिलोखेरा, गुड़गाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए 'एच.एस.डी' की कर/शुल्क रहित खरीद के लिए प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स डी.एल.एफ पॉवर एंड सर्विसेज लिमिटेड, सह-विकासकर्ता ने ग्राम सिलोखेरा, सेक्टर-30, गुडगाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की

आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए '98 के.एल डीजल' की शुल्क रहित आयात/ खरीद के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	सामग्रियों का अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1	प्रसंस्करण क्षेत्र में गैस टरबाइन आधारित बिजली जनन सेट्स लगाने और शुरू करने के लिए 60 मेगावाट क्षमता का सह-जनन संयंत्र स्थापित करना। (98 के.एल एच.एस.डी)	रु. 41.06 लाख

यह सूचित किया गया था कि सह-विकासकर्ता ने डी.ओ.सी द्वारा दिनांक 16.02.2016 की पत्र संख्या पी.6/2006-एस.ई.ज़ेड(भाग-III) के माध्यम से जारी की गई पॉवर दिशानिर्देशों के अर्थों में पिछले वर्ष 2017-18 के दौरान एस.ई.ज़ेड के अंतर्गत मौजूद निकायों को आपूर्ति की जा रही पॉवर यूनिट्स का माह-वार विवरण और यह बिजली पैदा करने में एच.एस.डी की खपत का विवरण भी जमा किया था, जो नीचे दिया गया है:-

अवधि	एस.ई.ज़ेड के अंतर्गत निकायों को आपूर्ति की गई बिजली (के.डब्लू.एच)	एस.ई.ज़ेड निकायों को आपूर्ति की गई औसत मासिक बिजली (के.डब्लू.एच)
(01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक)	23619593	1968299

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि सह-विकासकर्ता ने उल्लेख किया है कि 01 लीटर एच.एस.डी से लगभग 3 के.डब्लू.एच बिजली यूनिट्स पैदा होती है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1968299 के.डब्लू.एच बिजली यूनिट्स पैदा करने के लिए औसत रूप से एक महीने में 656 के.एल एच.एस.डी की आवश्यकता होगी।

सह-विकासकर्ता के तरफ से श्री अनिल नौरियल, जी.एम और श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया। सह-विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उक्त उप-विकासकर्ता गैस टरबाइन पर आधारित बिजली जनन सेट्स के माध्यम से बिजली पैदा करने के व्यवसाय में शामिल है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर ईंधन के रूप

एच.एस.डी की जरूरत होती है, और जबकि शुरू होने तथा उसके बाद चलने में गैस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से उन्होंने एच.एस.डी की न्यूनतम मात्रा का प्रस्ताव दिया है।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इस शर्त के अधीन कि वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2016 के पत्र संख्या पी.6/3/2006-एस.ई.ज़ेड(भाग-III) के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.ज़ेड) के लिए जारी बिजली जनन, प्रसारण और वितरण के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद (vi) के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने निर्दिष्ट अधिकारियों को मासिक आधार पर कर/ शुल्क रहित डीजल की खरीद का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और यह कहा कि डी.जी सेट्स के माध्यम से पैदा की गई बिजली सख्त रूप से केवल एस.ई.ज़ेड के भीतर ही आपूर्ति की जाएगी।

09. सह-विकासकर्ता मेसर्स डी.एल.एफ ऐसेस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से सेक्टर-30 सिलोखेरा, गुड़गाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स डी.एल.एफ ऐसेस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासकर्ता ने ग्राम सिलोखेरा, सेक्टर-30, गुड़गाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	यूनिट अनुमोदम समिति के अनुमोदन के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार की इमारतों का निर्माण	22	168.27
(ii)	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमे उचित क्षमता का आवश्यक सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क इत्यादि शामिल है	04	7.64
		कुल	**175.91**

सह-विकासकर्ता के तरफ से श्री अनिल नौरियल, जी.एम और श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

10. सह-विकासकर्ता मेसर्स डी.एल.एफ ऐसेस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से सेक्टर-24 और 25 ए, गुड़गाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ साइबर सिटी डेवेलोपर्स लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स डी.एल.एफ ऐसेस्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सह-विकासकर्ता ने सेक्टर-24 और 25 ए, डी.एल.एफ फेज-III, गुडगाँव (हरियाणा) में मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/आई.टी.ई.एस. एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
(i)	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	6.78
(ii)	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमे उचित क्षमता का आवश्यक सब-स्टेशन, पाइपलाइन नेटवर्क इत्यादि शामिल है	04	0.99
(iii)	एक्सेस कंट्रोल और अनुवीक्षा प्रणाली	24	2.47
		कुल	**10.24**

सह-विकासकर्ता के तरफ से श्री अनिल नौरियल, जी.एम और श्री पीताम्बर शर्मा, प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

11. मेसर्स जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई.आर.ई.ओ) के तरफ से ग्राम बेहरमपुर, बंधवाड़ी और बलोला, जिला गुडगाँव (हरियाणा) के इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासकर्ता ने ग्राम बेहरमपुर, बंधवाड़ी और बलोला, जिला गुडगाँव (हरियाणा) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालना निष्पादित करवाने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु दो प्रस्ताव जमा किया था:-

क्रमांक	प्राधिकृत परिचालना का नाम	अनुदेश संख्या 50 और 54 के अनुसार प्राधिकृत परिचालनाओं के डिफ़ॉल्ट सूची का क्रमांक	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
प्रस्ताव-I			
1.	भूसुदर्शनीकरण एवं जल भंडार	08	36.00
प्रस्ताव-II			
(i)	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	381.96
(ii)	यूनिट अनुमोदन समिति के अनुमोदन के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार की इमारतों का निर्माण	2	60.14
(iii)	स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	39.02
		कुल	**481.12**
		सकल योग	**517.12**

विकासकर्ता के तरफ से श्री निलेश रामजियानी, वरिष्ठ वी.पी और श्री आशीष अगरवाल, ए.जी.एम अनुमोदम समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

12. मेसर्स एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड के आई.टी/आई.टी.ई.एस में स्थित यूनिट के लिए क्षेत्र का विस्तारण और प्रक्षेपणों में समीक्षा का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स एसेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड के आई.टी/आई.टी.ई.एस में स्थित यूनिट के लिए क्षेत्र का विस्तारण और प्रक्षेपणों में समीक्षा का प्रस्ताव दिया था। समिति को यह सूचित किया गया था कि यूनिट वर्तमान 2 री मंजिल, टावर-ए, बिल्डिंग नंबर 2, 8 वीं और 11 वीं मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नंबर 1, निचली मंजिल से 5 वीं, 8 वीं और 9 वीं मंजिल, टावर-ए, बिल्डिंग नंबर 6, निचली मंजिल और 1 ली मंजिल, टावर-बी, बिल्डिंग नंबर 6, निचली से 8 वीं मंजिल, बिल्डिंग नंबर 7, और 6 ठी से 9 वीं मंजिल, टावर-ए, बिल्डिंग नंबर 8 में 932681 वर्ग फीट क्षेत्र में परिचालना कर रहा है और यूनिट ने एस.ई.ज़ेड के बिल्डिंग नंबर 2 के टावर-बी में 2 री और 3 री मंजिल पर 54472 वर्ग फीट (27236 वर्ग फीट हर मंजिल के लिए) क्षेत्र जोड़ने का अनुरोध किया है। यह सूचित किया गया था कि एस.ई.ज़ेड विकासकर्ता ने यूनिट को प्रस्तावित अतिरिक्त स्थान आवंटित करने का प्रावधिक प्रस्ताव दिया है। यह भी सूचित किया गया था कि यूनिट ने अपने प्रस्तावित विस्तारण के सन्दर्भ में समीक्षित प्रक्षेपण भी जमा किया है, जो नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख में)

ब्यौरा (पांच वर्षों के लिए)	मौजूदा प्रक्षेपण	समीक्षित प्रक्षेपण
निर्यातों की प्रक्षेपित एफ.ओ.बी मूल्य	679910.00	695087.00
विदेशी मुद्रा खर्च	45551.00	46856.00
एन.एफ.ई	634359.00	648231.00
आयातित पूंजीगत वस्तुएं	7562.00	8109.00
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएं	3321,00	4211.00

यह सूचित किया गया था कि यूनिट ने प्रक्षेपण पत्रक पर आयातित पूंजीगत वस्तुओं का अनुमोदित मूल्य रु. 7562 लाख के बजाय रु. 8180 लाख लिखा था।

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि 04.05.2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति के निर्देश के अनुसार और दिनांक 23.05.2018 के इस इस कार्यालयी पत्र के सन्दर्भ में, यूनिट ने अपने दिनांक 30.05.2018 के पत्र और अनुवर्ती दिनांक 03.08.2018 के पत्र के माध्यम से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान डी.टी.ए में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण जमा किया था और सूचित किया था कि डी.टी.ए चालानों की जानकारियों में प्राथमिक रूप से सेवाएं शामिल होगी और इसका बेहद छोटा भाग पुरानी परिसंपत्तियों के विक्रय से संबंधित है। यह सूचित किया गया था कि यूनिट ने पुष्टि की थी कि एस.ई.ज़ेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(z) के अधीन निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार डी.टी.ए में प्रदान की गई सभी सेवाओं को केवल विदेशी मुद्रा में ही कार्यान्वित किया गया है।

यूनिट के तरफ से श्री धरम युधिष्ठिर, महा प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने यूनिट के क्षेत्र का विस्तारण एवं समीक्षित प्रक्षेपण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अनुमोदन समिति ने यूनिट द्वारा जमा की गई डी.टी.ए विक्रयों की जानकारियों का भी नोट लिया।

13. मेसर्स जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्राम बेहरमपुर, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में एक यूनिट मेसर्स जी.पी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी), चंडीगढ़ बेंच द्वारा दिनांक 11.07.2018 के आदेश के माध्यम से सम्मिश्रित सहमत योजना के अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी की शेयरधारण स्वरूप में बदलाव एवं नाम बदलकर 'आई.टी.पी.जी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड' करने का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्राम बेहरमपुर, जिला-गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड में एक यूनिट मेसर्स जी.पी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी), चंडीगढ़ बेंच द्वारा दिनांक 11.07.2018 के आदेश के माध्यम से सम्मिश्रित व्यवस्था योजना के अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी की शेयरधारण स्वरूप में बदलाव एवं मेसर्स जी.पी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर 'आई.टी.पी.जी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड'

रखने का प्रस्ताव जमा किया गया था। कंपनी की शेयरधारण स्वरूप में किए जाने वाले बदलावों की विस्तृत जानकारी नीचे प्रस्तुत है:-

03.08.2018 को मेसर्स जी.पी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा शेयरधारण स्वरूप			माननीय एन.सी.एल.टी के समक्ष दायर की गई सम्मिश्रित व्यवस्था योजना के अनुसरण में प्रस्तावित शेयरधारण स्वरूप		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% शेयर	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% शेयर
जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	7669999	99.99998 %	दाइसु लिमिटेड (पहले ए.ज़ेड.सी.ओ लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (इसके नॉमिनी मेसर्स आई.आर.ई.ओ मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा धारित शेयरों समेत)	107359360	100%
शरद अगरवाल (जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नामांकित व्यक्ति)	1	0.00001 %			
कुल:	7670000	100%	कुल:	107359360	100%

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि परियोजना के लिए आवेदन करते समय, अर्थात, 10.01.2017 को, कंपनी का शेयरधारण स्वरूप निम्न अनुसार था:-

10.01.2017 को परियोजना के लिए आवेदन करते समय मेसर्स जी.पी रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड का शेयरधारण स्वरूप		
शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	% शेयर
जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	19999	99.995%
शरद अगरवाल (जी.पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नामांकित व्यक्ति)	1	0.005%
कुल:	20000	100%

यह सूचित किया गया था कि कंपनी का नाम मेसर्स जी.पी. रियल्टर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर "आई.टी.पी.जी डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड" रखने के लिए आर.ओ.सी द्वारा जारी की गई नई संस्थापना प्रमाणपत्र की प्रति जमा करने की आवश्यकता है।

अनुमोदन समिति ने देखा कि कंपनी के शेयरधारण में 100% बदाव हुए हैं।

यह सूचित किया गया था कि दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 के माध्यम से डी.ओ.सी ने शेयरधारण स्वरूप में बदलाव, एस.ई.ज़ेड विकासकर्ता और एस.ई.ज़ेड यूनिट के नाम में बदलाव के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5(ii) के अनुसार, *"यूनिट के संबंध में अनुमोदन समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर पुनर्गठन किया जा सकता है जिसमे नाम का बदलाव, शेयरधारण स्वरुप में बदलाव, व्यवसाय अंतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलीनिकरणों और डीमर्जर, एस.ई.ज़ेड में अवस्थित यूनिट के अधिकार क्षेत्र के बदलाव शामिल है, बशर्ते यूनिट विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनेगा या बहिर्गमन नहीं करेगा और सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में संचालन जारी रखेगा। इस तरह का पुनर्गठन होने पर यूनिट के सभी उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।"*

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6 के अनुसार, यह पुनर्गठन निम्नलिखित रक्षेपायों के अधीन होगा:-

i) *परिवर्तित निकाय के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों सहित समस्त एस.ई.ज़ेड का निरंतर संचालन;*

ii) *निकाय और इसके संघटकों द्वारा लागू समस्त पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए जिसमे सुरक्षा मंजूरी इत्यादि शामिल है;*

iii) *समस्त राजस्वों/ कंपनी कार्यकलापों/ एस.ई.बी.आई इत्यादि, पूंजीगत लाभ, समता के परिवर्तन, अंतरण, कर-प्रयोज्यता इत्यादि जैसे मुद्दों को विनियमित करते अधिनियम/ नियमों की अनुप्रयोज्यता एवं अनुपालन;*

iv) *सदस्य (आई.टी), सी.बी.डी.टी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी को समता/ विलीनीकरण, डीमर्जर, समामेलन या स्वामित्व के अंतरण इत्यादि में होने वाले बदलाव के संबंध में पूरी वितीय जानकारी तत्काल प्रस्तुत की जाएगी;*

v) *निर्धारण अधिकारी को समता अंतरण या विलीनीकरण, डीमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण इत्यादि, जो लागू हो, के कारण उत्पन्न लाभ/हानि की कर-प्रयोज्यता और आय कर*

अधिनियम, 1961 की उचित धाराओं के अधीन कटौती की पात्रता का आंकलन करने का अधिकार होगा;

vi) *आवेदक जमीन के पट्टे से संबंधित विधियों समेत राज्य सरकार के समस्त प्रासंगिक विधियों का अनुपालन करेगा, जो लागू हो;*

vii) *यूनिट सी.बी.डी.टी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार आंकलन अधिकारी की जानकारी प्रस्तुत करेगा।*

इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि दिनांक 03.08.2018 के अनुदेश संख्या 90 के माध्यम से डी.ओ.सी के आगे स्पष्ट किया था कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5(i) और (ii) में विकासकर्ता/ एस.ई.ज़ेड के संबंध में 'अनुमोदन बोर्ड/ यूनिट अनुमोदन समिति (यू.ए.सी) की पूर्व अनुमति' का अर्थ यह है कि एस.ई.ज़ेड निकाय/ यूनिट को नए नाम द्वारा मान्यता मिलने या सभी मायनों में ऐसी व्यवस्था होने से पहले, जैसा मामला हो, बी.ओ.ए/ यू.ए.सी से अनुमति ली जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं समझा जाए कि कंपनियों के पंजीयक या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास जाने से पहले बी.ओ.ए/ यू.ए.सी से अनुमति ली जाएगी, जैसा कि डी.ओ.सी के ध्यान में लाए गए कुछ मामलों में किया जा रहा है।

यूनिट के तरफ से श्री मिनिष माथुर और श्री दिनेश सिक्का अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 और डी.ओ.सी द्वारा दिनांक 03.08.2018 के अनुदेश संख्या 90 के माध्यम जारी की गई अनुवर्ती स्पष्टीकरण के अर्थों में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इस शर्त के अधीन कि दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 में विहित रक्षेपायों का अनुपालन किया जाएगा और कंपनी का नाम बदलने के बाद की संस्थापना प्रमाणपत्र जमा किया जाएगा।

14. मेसर्स जी.पी. रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऐसेंडास) के तरफ से ग्राम बेहरमपुर, जिला-गुड़गाँव (हरियाणा) के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के फेज-I के ब्लॉक-2 के संबंध में अधिभोग प्रमाणपत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि दिनांक 07.06.2018 की इस कार्यालयी पत्र के माध्यम से वरिष्ठ नगर नियोजक, डी.टी.सी.पी हरियाणा कार्यालय, चंडीगढ़ को उनकी परिक्षण तथा टिप्पणियों हेतु मेसर्स जी.पी. रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऐसेंडास) के तरफ से ग्राम बेहरमपुर, जिला-

गुडगाँव (हरियाणा) के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, आई.टी./आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के फेज-I के ब्लॉक-2 के संबंध में अधिभोग प्रमाणपत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया था। यह सूचित किया गया था कि दिनांक 07.06.2018 की इस कार्यालयी पत्र के सन्दर्भ में जिला नगर नियोजक (मुख्यालय), डी.टी.सी.पी हरियाणा कार्यालय, चंडीगढ़ ने दिनांक 23.08.2018 की मेमो संख्या एस.ई.ज़ेड-66-भाग-I/एस.डी(बी.एस)/2018/24713 के माध्यम से अपनी टिप्पणियाँ अग्रेषित की थी और इसके साथ उक्त एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में फेज-1 के ब्लॉक-2 के अधिभोग प्रमाणपत्र पर विचार हेतु डी.टी.पी गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा विधिवत सत्यापित पूर्व-निर्मित चित्रण की एक रंगीन प्रति भी भेजी थी। डी.टी.पी (मुख्यालय) ने सूचित किया है कि डी.टी.पी (पी), गुडगाँव और एस.टी.पी, गुडगाँव क्षेत्र से प्राप्त साइट रिपोर्ट्स में यह प्रतिवेदित है कि आवेदक ने साइट पर एस.ई.ज़ेड के फेज-1 के ब्लॉक-2 की निर्माण योजना से भिन्न निर्माण करवाया है। डी.टी.पी (मुख्यालय) ने बताया कि साइट पर निर्माण की अनुमोदित योजनाओं से भिन्न किए गए निर्माण कार्य और रचना नीति के अनुसार उनके रचना की मात्रा निम्नलिखित प्रकार से है:

क्रमांक	उल्लंघन/ भिन्नता	क्षेत्र	रचना का दर	रकम (रूपए में)
1	योजना की संस्वीकृति प्राप्त किए बिना किए गए निर्माण एवं किए गए निर्माण विधियों/ आंचलीकरण के अनुरूप हैं।	414.795 वर्ग मीटर	रु.216/- प्रति वर्ग मीटर	89596.00
2	निर्माण के दौरान अतिरिक्त निर्माणों की संवीक्षा शुल्क	414.795 वर्ग मीटर	रु.10/- प्रति वर्ग मीटर	4148.00
3.	डी.पी.सी प्रमाणपत्र नहीं किया गया है	4044.750 वर्ग मीटर 43537.689 वर्ग फीट	रु.1/- प्रति वर्ग फीट	43538.00
4.	गेट और सीमा घेरा की दीवारें मानक डिज़ाइन के अनुसार नहीं है	1	रु.1000/- प्रति वर्ग फीट	1000.00
5.	सीमा घेरा दीवारों की ऊँचाई में भिन्नता	1	रु.1000/- प्रत्येक	1000,00
6.	आंतरिक बदलाव	134.909 वर्ग मीटर या 1452.160 वर्ग फीट	रु.5/- प्रति वर्ग फीट	7261.00

7.	दरवाजा/खिड़की की स्थितियों के बदलाव	131	रु. 100/- प्रत्येक	13100.0
8.	उत्थान के बदलाव	1 ब्लॉक	रु. 10000/- प्रत्येक ब्लॉक	10000.00
----			कुल (रु.):	169643.00
			जमा राशि (रु.):	173839.00
			अधिशेष (रु.):	4196.00

यह सूचित किया गया था कि डी.टी.पी (मुख्यालय) ने आगे यह भी उल्लेख किया था कि उक्त उल्लंघन मिश्रयोग्य उल्लंघन हैं और विकासकर्ता ने उपरोक्त उक्त रचना शुल्क जमा कर दिया है। डी.टी.पी (मुख्यालय) ने आगे यह भी बताया कि साइट पर आंतरिक तथा बाहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के प्रावधानों को स्वयं विकासकर्ता द्वारा ही प्रमाणित करवाया जाएगा क्योंकि विकासकर्ता ने विकास कार्यों की लागत का अनुमान स्वयं ही किया था। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि डी.टी.पी (मुख्यालय) ने सुझाव दिया था कि उनके दिनांक 23.08.2018 के मेमो के नियमों व शर्तों के अधीन इस मामले पर विचार के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

बैठक के दौरान, श्री महिपाल सिंह, डी.टी.पी (पी) कार्यालय के प्रतिनिधि, गुरुग्राम ने डी.टी.सी.पी हरियाणा कार्यालय, चंडीगढ़ से विकासकर्ता को अधिभोग प्रमाणपत्र की स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश की थी।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने जिला नगर नियोजक (मुख्यालय), डी.टी.सी.पी हरियाणा कार्यालय, चंडीगढ़ की दिनांक 23.08.2018 की मेमो संख्या एस.ई.ज़ेड-66-भाग-I/एस.डी(बी.एस)/2018/24713 में उल्लिखित नियमों व शर्तों के अधीन उक्त एस.ई.ज़ेड के फेज-1 के ब्लॉक-2 के संबंध में अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

15. मेसर्स अलाइट एच.आर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित गुडगाँव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मेसर्स कैन्डोर के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड की एक यूनिट के तरफ से कंपनी के शेयरधारण के अंतरण के माध्यम से स्वामित्व में प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना - के संबंध में।

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स अलाइट एच.आर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम टिकरी, सेक्टर-48, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित गुडगाँव वन रियल्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट

लिमिटेड के मेसर्स कैन्डोर के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड की एक यूनिट के तरफ से कंपनी के शेयरधारण के अंतरण के माध्यम से स्वामित्व में प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रस्ताव जमा किया गया था। कंपनी की मौजूदा तथा प्रस्तावित शेयरधारण स्वरूप निम्नानुसार हैं:

शेयरधारण का मौजूदा स्वरूप (बी.ओ.ए द्वारा दिए गए अनुमोदन और यूनिट को दिनांक 24.08.2017 की इस कार्यालयी पत्र के माध्यम दी गई सूचना के अनुसर)			एस.पी.ए के समापन पर प्रस्तावित शेयरधारण स्वरूप		
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	% शेयर	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	% शेयर
टेम्पो (मॉरिशस) होल्डको	7009998	99.99%	विप्रो लिमिटेड	7009998	99.99%
श्री संदीप अगरवाल (टेम्पो (मॉरिशस) होल्डको द्वारा नामांकित व्यक्ति)	02	0.01%	विप्रो लिमिटेड के नामांकित व्यक्ति (प्रथम धारक के रूप में) और विप्रो लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से धारित	02	0.01%
कुल:	7010000	100%	कुल:	7010000	100%

यह सूचित किया गया था कि कंपनी की 100% शेयरों को अंतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

यह सूचित किया गया था कि दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 के माध्यम से डी.ओ.सी ने शेयरधारण स्वरूप में बदलाव, एस.ई.ज़ेड विकासकर्ता और एस.ई.ज़ेड यूनिट के नाम में बदलाव के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5(ii) के अनुसार, *"यूनिट के संबंध में अनुमोदन समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त कर पुनर्गठन किया जा सकता है जिसमे नाम का बदलाव, शेयरधारण स्वरुप में बदलाव, व्यवसाय अंतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलीनिकरणों और डीमर्जर, एस.ई.ज़ेड में अवस्थित यूनिट के अधिकार क्षेत्र के बदलाव शामिल है, बशर्ते यूनिट विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनेगा या बहिर्गमन नहीं करेगा और सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में संचालन जारी रखेगा। इस तरह का पुनर्गठन होने पर यूनिट के सभी उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।"*

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6 के अनुसार, यह पुनर्गठन निम्नलिखित रक्षेपायों के अधीन होगा:-

i) *परिवर्तित निकाय के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्वों सहित समस्त एस.ई.ज़ेड का निरंतर संचालन;*

ii) *निकाय और इसके संघटकों द्वारा लागू समस्त पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए जिसमे सुरक्षा मंजूरी इत्यादि शामिल है;*

iii) *समस्त राजस्वों/ कंपनी कार्यकलापों/ एस.ई.बी.आई इत्यादि, पूंजीगत लाभ, समता के परिवर्तन, अंतरण, कर-प्रयोज्यता इत्यादि जैसे मुद्दों को विनियमित करते अधिनियम/ नियमों की अनुप्रयोज्यता एवं अनुपालन;*

iv) *सदस्य (आई.टी), सी.बी.डी.टी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकारी प्राधिकारी को समता/ विलीनीकरण, डीमर्जर, समामेलन या स्वामित्व के अंतरण इत्यादि में होने वाले बदलाव के संबंध में पूरी वितीय जानकारी तत्काल प्रस्तुत की जाएगी;*

v) *निर्धारण अधिकारी को समता अंतरण या विलीनीकरण, डीमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण इत्यादि, जो लागू हो, के कारण उत्पन्न लाभ/हानि की कर-प्रयोज्यता और आय कर अधिनियम, 1961 की उचित धाराओं के अधीन कटौती की पात्रता का आंकलन करने का अधिकार होगा;*

vi) *आवेदक जमीन के पट्टे से संबंधित विधियों समेत राज्य सरकार के समस्त प्रासंगिक विधियों का अनुपालन करेगा, जो लागू हो;*

vii) *यूनिट सी.बी.डी.टी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार आंकलन अधिकारी की जानकारी प्रस्तुत करेगा।*

इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि दिनांक 03.08.2018 के अनुदेश संख्या 90 के माध्यम से डी.ओ.सी के आगे स्पष्ट किया था कि उक्त दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5(i) और (ii) में विकासकर्ता/ एस.ई.ज़ेड के संबंध में 'अनुमोदन बोर्ड/ यूनिट अनुमोदन समिति (यू.ए.सी) की पूर्व अनुमति' का अर्थ यह है कि एस.ई.ज़ेड निकाय/ यूनिट को नए नाम द्वारा मान्यता मिलने या सभी मायनों में ऐसी व्यवस्था होने से पहले, जैसा मामला हो, बी.ओ.ए/ यू.ए.सी से अनुमति ली जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं समझा जाए कि कंपनियों के पंजीयक या राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास जाने से पहले बी.ओ.ए/ यू.ए.सी से अनुमति ली जाएगी, जैसा कि डी.ओ.सी के ध्यान में लाए गए कुछ मामलों में किया जा रहा है।

आगे, यह सूचित किया गया था कि यूनिट को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:-

(i) कंपनी की मौजूदा तथा समीक्षित शेयरधारण स्वरूप की जानकारी साथ ही उसमे की गई बदलावों की सही तिथि जो सी.ए. द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

(ii) विक्रय खरीद सहमति की प्रति।

(iii) कंपनी के तत्काल निदेशकों की सूची साथ ही निदेशकों में हुए बदलावों, यदि हो, की जानकारी जिसके समर्थन में आर.ओ.सी में विधिवत दायर की गई दस्तावेजों और नए निदेशकों के पैन कार्ड, फॉर्म-32/ डी.आई.आर-12 और साथ ही अवसान प्राप्त निदेशकों की फॉर्म-32/ डी.आई.आर-12 की प्रतियाँ।

(iv) पंजीकृत पट्टा सहमति की प्रति।

यूनिट के तरफ से श्री पंकज अगरवाल, निदेशक, श्री अशन आघा, निदेशक और श्री राजकुमार, प्रबंधक, मेसर्स विप्रो लिमिटेड अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 और डी.ओ.सी द्वारा दिनांक 03.08.2018 के अनुदेश संख्या 90 के माध्यम जारी की गई अनुवर्ती स्पष्टीकरण के अर्थों में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इस शर्त के अधीन कि दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 में विहित रक्षेपायों का अनुपालन किया जाएगा और बाकी के दस्तावेज जमा किए जाएंगे।

16. सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी (लेखा-परीक्षा) द्वारा मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, गुरुग्राम (हरियाणा) की आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के संबंध में सेवा कर के भुगतान से 'कार पार्किंग शुल्क' सेवा पर छूट के संबंध में मांगी गई स्पष्टीकरण

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि श्री मोहन स्वरूप, सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी (लेखा-परीक्षा), सर्कल-8, लेखा-परीक्षा-I कमीशनरेट, नई दिल्ली के तरफ से दिनांक 24.05.2018 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमे सूचित किया गया था कि सी.जी.एस.टी लेखा-परीक्षा 1 दिल्ली के अधिकारियों ने मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, सेक्टर-21, दुन्दहेरा, गुडगाँव, हरियाणा में स्थित एस.ई.ज़ेड का विकासकर्ता की लेखा-परीक्षा संचालित की थी, जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा आई.टी/आई.टी.ई.एस उपयोग हेतु विधिवत अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह सूचित किया गया था कि सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी (लेखा-परीक्षा) ने उल्लेख किया कि मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड सेवा कर करदाता की

क्षमता में अचल परिसंपत्तियों के किराए, एस.ई.ज़ेड के किराएदारों/ यूनिट्स से किराए सहित अन्य शुल्कों के साथ-साथ 'कार पार्किंग' शुल्क अलग से ले रहा है, और उस पर सेवा कर का भुगतान नहीं कर रहा है, और इसे छूट प्रापर सेवा मान रहा है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया था कि गतिविधि 'कार पार्किंग' के बारे में कहीं भी उल्लिखित नहीं है और इसके बदले में "अचल परिसंपत्तियों को किराए पर देने" के बारे में उल्लेख किया गया है। करदाता के समक्ष यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया कि कार पार्किंग और कुछ नहीं एक "पुलिंदा गतिविधि" है और यह "अचल परिसंपत्तियों को किराए पर देने" के अधीन आएगा और अतः सेवा कर से छूट प्राप्त है। यह सूचित किया गया था कि सहायक आयुक्त ने इस कार्यालय से अनुरोध किया है कि वे इस बारे में स्पष्टीकरण/ सलाह प्रदान करें कि क्या अलग से ली जा रही 'कार पार्किंग शुल्क' पर आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के "अचल परिसंपत्तियों को किराए पर देने" के समान ही सेवा कर के भुगतान की छूट है या नहीं ताकि उनका कार्यालय इस मामले में आगे की कार्रवाई कर सके।

यह सूचित किया गया था कि "अचल परिसंपत्तियों को किराए पर देना" 66 डिफ़ॉल्ट सेवाओं में से एक है, यू.ए.सी द्वारा एस.ई.ज़ेड विकासकर्ताओं/ सह-विकासकर्ताओं और हरियाणा में अवस्थित यूनिट्स को जिसकी अनुमति दी गई है।

इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि उक्त एस.ई.ज़ेड के विशिष्ट अधिकारी से इस बारे में टिप्पणियाँ भी मांगी गई थी। यह सूचित किया गया था कि विशिष्ट अधिकारी ने अपने दिनांक 03.07.2018 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासकर्ता ने सुनिश्चित किया है कि कंपनी ने किरायदारों, जो एस.ई.ज़ेड यूनिट्स हैं, को अपना विकसित स्थान पट्टे पर दिया है। स्थानों को किराए पर देने की अपनी गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में, कंपनी किरायेदारों या अपने कर्मचारियों के लिए परिसर के भीतर कारों / वाहनों की पार्किंग के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थान प्रदान करता है। एस.ई.ज़ेड विधियां उन सेवाओं के लिए सेवा कर से छूट प्रदान करती हैं जो "प्राधिकृत परिचालना" के शीर्ष के अधीन आते हैं। विशिष्ट अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दिनांक 15.03.2010 की अनुदेश संख्या 50 के साथ दिनांक 03.03.2009 की सेवा कर अधिसूचना संख्या 9/2009 पढ़ी जा सकती है, जो "बहु-मंजिला कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचलित/ मैनुअल)" को एस.ई.ज़ेड के अधीन प्राधिकृत परिचालना के रूप में परिभाषित करती है।

अनुमोदन समिति ने पाया कि "बहु-मंजिला कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचलित / मैनुअल)" डी.ओ.सी द्वारा जारी दिनांक 15.03.2010 के निर्देश संख्या 50 के अनुसार एक डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालना है। कार पार्किंग स्थान एस.ई.ज़ेड यूनिट्स के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता

है। विकासकर्ता ने एक संलग्न सेवा गतिविधि के रूप में एस.ई.ज़ेड यूनिट्स को पूर्व-निर्मित स्थान और कार पार्किंग स्थान किराए पर दिया है।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी (लेखा परीक्षा), नई दिल्ली को स्पष्टीकरण अग्रेषित करने का निर्देश दिया, जिसमे यह स्पष्टीकरण था कि "बहु-मंजिला कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचलित / मैनुअल)" डी.ओ.सी द्वारा जारी दिनांक 15.03.2010 के निर्देश संख्या 50 के अनुसार एक डिफ़ॉल्ट प्राधिकृत परिचालना है और कार पार्किंग स्थान विकासकर्ता द्वारा एस.ई.ज़ेड यूनिट्स को किराए पर दिए गए पूर्व-निर्मित स्थान से संबंधित है। अतः इसे "अचल परिसंपत्तियों को किराए पर देने की सेवाओं" के अधीन समझा जा सकता है जो इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत परिचालना में एस.ई.ज़ेड विकासकर्ता/ सह- विकासकर्ता द्वारा और वहां स्थिर यूनिट्स द्वारा उपयोग के लिए जारी 66 डिफ़ॉल्ट सेवाओं में से एक है।

17. <u>मेसर्स जोन्स लैंग लैसेले प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से डी.एल.एफ साइबर सिटी डेवेलोपर्स लिमिटेड की ई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड, गुड़गाँव से डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/ आई.टी.ई.एस एस/ई/ज़ेड, गुड़गाँव (हरियाणा) में इसके यूनिट के स्थानांतरण के पारगमन अवधि के दौरान एस.ई.ज़ेड ऑनलाइन सिस्टम में दोनों एस.ई.ज़ेड पर यूनिट की लॉग इन आई.डी/ लोकेशन को जारी रखने का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स जोन्स लैंग लैसेले प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को हाल ही में डी.ओ.सी के तरफ से डी.एल.एफ साइबर सिटी डेवेलोपर्स लिमिटेड की ई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड, सेक्टर-24 और 25 ए, गुरुग्राम से डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/ आई.टी.ई.एस एस/ई/ज़ेड, ग्राम सिलोखेरा, सेक्टर-30, गुरुग्राम (हरियाणा) में अपनी यूनिट के स्थानांतरण की स्वीकृति मिली है, जिसके बारे में यूनिट को दिनांक 18.05.2018 के इस कार्यालयी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। यह सूचित किया गया था कि यूनिट ने डी.एल.एफ साइबर सिटी डेवेलोपर्स लिमिटेड की ई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड, सेक्टर-24 और 25 ए, गुडगाँव (हरियाणा) के पुराने स्थान के संबंध में इसके पहले से सक्रिय लॉग इन के साथ-साथ एस.ई.ज़ेड की ऑनलाइन सिस्टम पर रिक्वेस्ट आई डी 181800000340 के माध्यम से मेसर्स डी.एल.एफ लिमिटेड की आई.टी/ आई.टी.ई.एस एस/ई/ज़ेड, गुडगाँव (हरियाणा) में अपने नए स्थान के संबंध में यूनिट के विनियमीकरण के लिए अनुरोध किया था। यह सूचित किया गया था कि कंपनी ने स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए अक्टूबर 2018 तक एस.ई.ज़ेड ऑनलाइन सिस्टम पर दोनों यूनिट के लॉग इन आई.डी/ लोकेशन को सक्रिय रखने के अनुरोध किया था। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि विकास आयुक्त, एन.एस.ई.ज़ेड ने

यूनिट के स्थानांतरण में सहायता के लिए अक्टूबर 2018 तक की अवधि के लिए एस.ई.ज़ेड ऑनलाइन सिस्टम पर दोनों यूनिट के लॉग इन आई.डी/ लोकेशन को सक्रिय रखने की अनुमति दी थी।

इसके अलावा, यह भी बताया गया था कि क्योंकि अनुमोदन के बाद ऐसे पारगमन समय के लिए ऐसी कोई अधिकथित प्रक्रिया नहीं है, इस कार्यालय ने दिनांक 12.04.2016 के पत्र के माध्यम से डी.ओ.सी को इस मामले में आवश्यक दिशानिर्देश/ अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया था। आवश्यक दिशानिर्देशों/ अनुदेशों की प्रतीक्षा है और तत्काल मामले के आधार पर इस मामले में दिशानिर्देश/ अनुदेश जारी करने में शीघ्रता दिखाने के लिए डी.ओ.सी को एक और पत्र भी लिखा गया था।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने यूनिट के स्थानांतरण के सहायता के लिए अक्टूबर 2018 तक की अवधि के लिए एस.ई.ज़ेड ऑनलाइन सिस्टम पर दोनों एस.ई.ज़ेड की यूनिट लॉग इन आई.डी/ लोकेशन को सक्रिय रखने पर डी.सी, एन.एस.ई.ज़ेड की स्वीकृति को नोट किया।

18. <u>मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड के तरफ से ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक 'फूड एंड बेवरेजेज स्टोर' लगाने और चलाने के लिए मेसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को स्थान आवंटित करने का प्रस्ताव</u>

यह सूचित किया गया था कि 06.07.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड के तरफ से ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक 'फ़ूड एंड बेवरेजेज स्टोर' लगाने और चलाने के लिए मेसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को 848.41 वर्ग फीट (78.82 वर्ग मीटर) पूर्व-निर्मित स्थान आवंटित करने का प्रस्ताव आस्थगित किया था और विशिष्ट अधिकारी को एस.ई.ज़ेड के सुविधा ब्लॉक का दौरा कर यह पता लगाने का आदेश दिया था कि वहां कोई अन्य अप्राधिकृत फ़ूड कोर्ट विक्रेता अपनी दुकान चला रहा है या नहीं और इस कार्यालय को एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जमा करने का आदेश दिया था। अनुमोदन समिति ने यह निर्देश भी दिया था कि इस बात की भी पुष्टि की जाए कि कोई अन्य मूल आवंटी स्थान को किराए पर देने के लिए किसी अन्य विक्रेता के साथ सहमति में प्रवेश हुआ है या नहीं। यह भी सूचित किया गया था कि अनुमोदन समिति ने विकासकर्ता को दिनांक 03.07.2015 को मेसर्स क्वाल्स हॉस्पिटैलिटी को दी गई अनुमति के अधीन छह अन्य अप्राधिकृत विक्रेता/ फर्म को एस.ई.ज़ेड के तरफ से काम करने हेतु अनुमति देने और दिनांक 03.07.2015 के उक्त अनुमति के रद्दीकरण प्रस्ताव पर विचार करते समय यू.ए.सी से इस तथ्य को छिपाने के लिए एक कारण बताओ सूचना जारी करने का निर्देश भी दिया था।

यह सूचित किया गया था कि विशिष्ट अधिकारी ने दिनांक 30.08.2018 के पत्र के माध्यम से अपना प्रतिवेदन जमा किया था जिसमे सूचित किया गया था कि उन्होंने 23.08.2018 को श्री सुरेन्द्र चालिया, प्राधिकृत अधिकारी, श्री अभिषेक अरोरा, और श्री अमरिक सिंह, विकासकर्ता के प्रतिनिधि के साथ मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड की सुविधा ब्लॉक का दौरा किया था और पाया कि माननीय न्यायालय के दिनांक 16.05.2018 के आदेश के अनुसार मेसर्स लाइव वोक फ़ूड कोर्ट इलाके में काम कर रहा है। इसके अलावा, मौजूदा मूल आवंटियों से यह भी सत्यापित किया गया कि वे अपनी ब्रांड/ फ्रैंचाइज़ी ब्रांड चला रहे हैं और उन्होंने किसी अन्य विक्रेता को कोई अन्य स्थान किराए पर नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचित किया कि विकासकर्ता द्वारा मेसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के लिए चिन्हित स्थान भी अन्य सुविधा ब्लॉक में खाली पड़ा है।

इसके अलावा यह भी बताया गया था कि विकासकर्ता ने दिनांक 27.08.2018 के अपने पत्र के माध्यम से इस कार्यालय की दिनांक 27.07.2018 की पत्र का जवाब जमा किया था जिसमे बताया गया था कि ऐसा नहीं है कि उप-संचालकों की नियुक्ति के बारे में जानबूझकर या इरादतन नहीं बताया गया है बल्कि ऊपर उल्लिखित कारणों के वजह से ही सूचित नहीं किया गया था। विकासकर्ता ने क्वाल्स द्वारा संचालित फ़ूड कोर्ट से उप-संचालकों के संचालन के बारे में सूचना न देने की इस भूल, अगर हो, पर ध्यान न देने का अनुरोध किया था और कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई भूल न हो।

विकासकर्ता के तरफ से श्री जय कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड और श्री अमरिक सिंह, ए.जी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक 'फ़ूड एंड बेवरेजेज स्टोर' लगाने और चलाने के लिए मेसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को 848.41 वर्ग फीट (78.82 वर्ग मीटर) पूर्व-निर्मित स्थान आवंटित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, इस शर्त के अधीन कि मेसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी सुविधा लगाने, चलाने और रखरखाव के लिए सेवा कर लाभों समेत कोई अन्य कर/ शुल्क लाभ उपलब्ध नहीं होगा और मेसर्स गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड अपने इस केंद्र में सिगरेट और शराब युक्त पेय पदार्थ नहीं बेचेगा। इस सुविधा केंद्र का उपयोग विशेष रूप से केवल एस.ई.ज़ेड के कर्मचारियों और वहां स्थित यूनिट्स द्वारा ही किया जाएगा।

19. मेसर्स गुड़गाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासकर्ता के तरफ से ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुड़गाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 'अल-कबाब' नामक फूड

रेस्टोरेंट लगाने और चलाने के लिए मेसर्स द फ़ूड प्लेनेट को स्थान आवंटित करते हुए दिनांक 23.12.2011 के अनुमति पत्र को रद्द करने का प्रस्ताव

यह सूचित किया गया था कि 06.07.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासकर्ता के तरफ से ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 'अल-कबाब' नामक फ़ूड रेस्टोरेंट लगाने और चलाने के लिए मेसर्स द फ़ूड प्लेनेट को 1542 वर्ग फीट पूर्व-निर्मित स्थान आवंटित करते हुए दिनांक 23.12.2011 के अनुमति पत्र को रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया था और विशिष्ट अधिकारी को एस.ई.ज़ेड के सुविधा ब्लॉक का दौरा कर यह पता लगाने का आदेश दिया था कि वहां कोई अन्य अप्राधिकृत फ़ूड कोर्ट विक्रेता अपनी दुकान चला रहा है या नहीं और इस कार्यालय को एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन जमा करने का आदेश दिया था। अनुमोदन समिति ने यह निर्देश भी दिया था कि इस बात की भी पुष्टि की जाए कि कोई अन्य मूल आवंटी स्थान को किराए पर देने के लिए किसी अन्य विक्रेता के साथ सहमति में प्रवेश हुआ है या नहीं।

यह सूचित किया गया था कि विशिष्ट अधिकारी ने दिनांक 30.08.2018 के पत्र के माध्यम से अपना प्रतिवेदन जमा किया था जिसमे सूचित किया गया था कि उन्होंने 23.08.2018 को श्री सुरेन्द्र चालिया, प्राधिकृत अधिकारी, श्री अभिषेक अरोरा, और श्री अमरिक सिंह, विकासकर्ता के प्रतिनिधि के साथ मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड की सुविधा ब्लॉक का दौरा किया था और पाया कि माननीय न्यायालय के दिनांक 16.05.2018 के आदेश के अनुसार मेसर्स लाइव वोक फ़ूड कोर्ट इलाके में काम कर रहा है। इसके अलावा, मौजूदा मूल आवंटियों से यह भी सत्यापित किया गया कि वे अपनी ब्रांड/ फ्रैंचाइज़ी ब्रांड चला रहे हैं और उन्होंने किसी अन्य विक्रेता को कोई अन्य स्थान किराए पर नहीं दिया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सूचित किया कि उक्त एस.ई.ज़ेड में में 'अल-कबाब' नामक रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है और यह कि वह परिसर खाली पड़ा है।

विकासकर्ता के तरफ से श्री जय कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड अनुपालन और श्री अमरिक सिंह, ए.जी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने प्रस्ताव के बारे में समझाया। विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने समझाया की उन्होंने माननीय अपर जिला न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश, विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 10.01.2018 के आदेश के आधार पर मेसर्स द फ़ूड प्लेनेट को आवंटित स्थान को अपने कब्जे में कर लिया है। प्रतिनिधि भी यह भी बताया कि यह मामला अब भी न्यायिक कार्रवाई के अधीन है।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि यह मामला अब भी न्यायिक कार्रवाई के अधीन है।

20. मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासकर्ता के तरफ से ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट लगाने और चलाने के लिए मेसर्स फ्लेवरसम फ़ूड को स्थान आवंटित करते हुए दिनांक 29.12.2016 के अनुमति पत्र को रद्द करने का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के ध्यान में लाया गया था कि मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस लिमिटेड, विकासकर्ता ने ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) में स्थित आई.टी./ आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट लगाने और चलाने के लिए मेसर्स फ्लेवरसम फ़ूड को स्थान आवंटित करते हुए दिनांक 29.12.2016 के अनुमति पत्र को रद्द करने का प्रस्ताव दिया था। यह सूचित किया गया था कि विकासकर्ता ने मेसर्स गुडगाँव इन्फोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया दिनांक 29.12.2016 का मूल अनुमति पत्र समर्पित कर दिया है। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया था कि विकासकर्ता ने डी.सी, एन.एस.ई.ज़ेड को संबोधित श्री कुनाल साहनी, मेसर्स फ्लेवरसम फूड्स के साझेदार की दिनांक 14.07.2018 की एक सहमति पत्र भी संलग्नित की थी जिसमे उक्त अनुमोदन के प्रति उनकी सहमति प्रकट की गई थी। विकासकर्ता ने मेसर्स फ्लेवरसम फूड्स का एक और दिनांक 26.07.2018 का पत्र भी संलग्नित किया था जिसमे यह बताया गया था कि उन्होंने उक्त मूल पत्र खो दिया है। मेसर्स फ्लेवरसम फूड्स ने मूल पत्र मिलने पर जमा करने की जिम्मेदारी ली है। मेसर्स फ्लेवरसम फूड्स ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि खोए उक्त पत्र के संबंध में या अनुवर्ती रूप से कोई समस्या खड़ी होने की घटना में, वे सम्पूर्ण एवं एकमात्र रूप से सभी कार्रवाई और दावों को सहन या सामना करने के उत्तरदाता होंगे।

विकासकर्ता के तरफ से श्री जय कुमार, अध्यक्ष-एस.ई.ज़ेड अनुपालन और श्री अमरिक सिंह, ए.जी.एम-एस.ई.ज़ेड अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने उक्त आवंटन पत्र रद्द करने का अनुरोध किया।

विचार-विमर्श करने के बाद, अनुमोदन समिति ने ग्राम दुन्दहेरा, सेक्टर-21, गुडगाँव (हरियाणा) के आई.टी/आई.टी.ई.एस एस.ई.ज़ेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एक 'रेस्टोरेंट' लगाने और चलाने के लिए मेसर्स फ्लेवरसम फूड्स को यूनिट नंबर 5, ब्लॉक-4ए (सुविधा ब्लॉक-II) में 667 वर्ग फीट पूर्व-निर्मित क्षेत्र के आवंटन के दिनांक 29.12.2016 के पत्र को **रद्द करने का निर्णय** लिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

(एस.एस. शुक्ला)

संयुक्त विकास आयुक्त

(डॉ एल.बी सिंघल)

विकास आयुक्त